102

209

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल बोर्ड, ग्वालियर पीठ – रीवा, (म0प्र0)

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

रामयश कुशवाहा तनय स्व. रामदास कुशवाहा, उम्र 45 वर्ष, पेशा कृषि एवं मजदूरी, निवासी ग्राम–भमरा, तहसील–सेमरिया, जिला–रीवा (म0प्र0)

————आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम्

1. बोडेलाल तनय रामदास कुशवाहा उम्र 50 वर्ष,
2. लोकनाथ तनय रामदास कुशवाहा उम्र 44 वर्ष,

दोनों निवासी-- ग्राम–भमरा, तहसील–सेमरिया, जिला–रीवा (म0प्र0)

——अनावेदकगण / गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

निगंरानी विरूद्ध आदेश नक्शा तरमीम तहसीलदार सेमरिया दिनांक 09.01.12 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं :–

1. यह कि यह निगरानी तहसीलदार तहसील सेमरिया के नक्शा तरमीम के आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय में सद्भावना पूर्वक प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि आवेदक/निगरानीकर्ता रामयश कुशवाहा ग्राम–भमरा तहसील–सेमरिया की भूमि नं0 771/2, 772/2, 773/2 के बीच की पाटी खेत की है जो रामयश को बटवारा में मिली थी, बीच की पाटी तथा खसरों में भी 771/2, 772/2, 773/2 की पाटी अलग बटा नंबर 2 पड़ा हुआ है व आवेदक निगरानीकर्ता का खसरा में इन्द्राज है तथा मौके पर भी उक्त पाटियाँ 771/2, 772/2, 773/2 बीच की पाटी है।

इस प्रकार से नक्शा तरमीम में उक्त पाटियाँ बीच में न दर्शाकर बाहर किनारे कर दी गई हैं, जो पूर्णतः गलत हैं।

रामयश कुशवाहा

(102)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0601– III / 2014 जिला–रीवा

रामयश कुशवाहा / बोड़ेलाल कुशवाहा

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कुबेर प्रसाद अग्निहोत्री उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील सेमरिया के प्रकरण क्रमांक नक्शा तरमीम में पारित आदेश दिनांक 09.01.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	